न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक :–19.02.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

घीसी देवी पत्नी स्व. मोहन जाति जाट निवासी बड़ला

–अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी मोहन पुत्र गीला जाट को दिनांक 10.01.1983 को ग्राम बड़ला में खसरा नम्बर 1083 मि. रकबा 3 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.83 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम बड़ला खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.83 है0 मे से खसरा नम्बर 0.76 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है । उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 2319/1652 रकबा 0.07 है0 किस्म बारानी। गैर खातेदार घीसी पत्नी स्व. मोहन जाट के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम बड़ला के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक ख. नं. 1083 रकबा 3 बीघा से हाल ख. नं. 1652 रकबा 0.83 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। बाद भू–प्रबन्ध ख. नं. 1083 रकबा 3 बीघा के नये ख. नं. 1652 रकबा 0.83 है0 बनाये गये। जबकि 3 बीघा का है0 मे परिवर्तन करने पर 0.76 है0 होते है अर्थात अप्रार्थी के खाते में 0.83 है0 अर्थात 0.76 है0 के स्थान पर 0.83 है0 भूमि लगा दी गई। जो कि 0.07 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. मालेड़ा के प्रार्थना पत्र पर ख. नं. 1652 के नये ख. नं. 2319/1652 रकबा 0.07 है0 व ख. नं. 2318/1652 रकबा 0.76 है0 बनाकर अप्रार्थी को ख. नं. 2318/1652 रकबा 0.76 है0 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 2319/1652 रकबा 0.07 है0 भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रह गई। अतः ख. नं. 2319/1652 रकबा 0.07 है0 को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार ने न्यायालय से प्रार्थना की है। अतः राजस्व दस्तावेजो का विवचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त बाबत अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अर्थात अप्रार्थी की मूक सहमति रही। अतः आराजी ख. नं. 2319/1652 रकबा 0.07 है0 भूमि वाके ग्राम बड़ला तहसील देवली से गैर खातेदार घीसी पत्नी स्व. मोहन का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली